

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 148 सन 2018

अनवान :-

1. मनोज कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बेगराज पुत्र स्व उमाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
2. राजकुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
3. बलवीर पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
4. मोहनलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
5. कुलदीप पुत्र स्व महेन्द्र पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
6. पूजा पुत्री बेगराज पत्नी धर्मवीर जाति जाट (बिस्सू) साकिन केलनिया तहसील व जिला सिरसा
7. पूनम पुत्री बेगराज पत्नी रणधीर जाति जाट (बिस्सू) साकिन केलनिया तहसील व जिला सिरसा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 258/220 की कुल 9.1840 हैक् व चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 22/23 की कुल 3.9720 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को रवीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता उमाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शागिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शागिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 258/220 की कुल 9.1840हैक् व चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 22/23 की कुल 3.9720हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 258/220 की कुल 9.1840हैक् व चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 22/23 की कुल 3.9720हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि उमाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा उमाराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है

20
उपस्थित अधिकारी
बोहर

प्रतिवादी संख्या 5 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है प्रतिवादी संख्या 5 के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्या होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 258/220 की कुल 9.1840हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से वादी 1. 6317हैक् प्रतिवादी संख्या 1 की 1.0255हैक् , प्रतिवादी संख्या 3 की 1.6317हैक् , प्रतिवादी संख्या 4 की 1.6317हैक् प्रतिवादी संख्या 5 की 1.6317हैक् व रोही मौजा चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 22/22/23 की कुल 3.9720हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से वादी 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 1 की 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 2 की 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 3 की 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 4 की 0.662 प्रतिवादी संख्या 5 की 0.662हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मनोज कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बेगराज पुत्र स्व उमाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. राजकुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. बलवीर पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. मोहनलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. कुलदीप पुत्र स्व महेन्द्र पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
6. पूजा पुत्री बेगराज पत्नी धर्मवीर जाति जाट (बिस्सू) साकिन केलनिया तहसील व जिला सिरसा
7. पूनम पुत्री बेगराज पत्नी रणधीर जाति जाट (बिस्सू) साकिन केलनिया तहसील व जिला सिरसा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 148 सन 2018 निर्णय दिनांक- 17/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 258/220 की कुल 9.1840हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से वादी 1.6317हैक् प्रतिवादी संख्या 1 की 1.0255हैक् , प्रतिवादी संख्या 3 की 1.6317हैक् , प्रतिवादी संख्या 4 की 1.6317हैक् प्रतिवादी संख्या 5 की 1.6317हैक् व रोही मौजा चक 6 पीपीएम के खाता संख्या 22/22/23 की कुल 3.9720हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से वादी 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 1 की 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 2 की 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 3 की 0.662हैक् प्रतिवादी संख्या 4 की 0.662 प्रतिवादी संख्या 5 की 0.662हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मनोज कुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बेगराज पुत्र स्व उमाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. राजकुमार पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. बलवीर पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. मोहनलाल पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. कुलदीप पुत्र स्व महेन्द्र पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. पूजा पुत्री बेगराज पत्नी धर्मवीर जाति जाट (विस्सू) साकिन केलनिया तहसील व जिला सिरसा।
7. पूनम पुत्री बेगराज पत्नी रणधीर जाति जाट (विस्सू) साकिन केलनिया तहसील व जिला सिरसा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 148 सन 2018 निर्णय दिनांक- 03/02/2021

आज यह प्रार्थना पत्र मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पंचा डिक्री दिनांक 17.12.2020 में प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा अंकित नहीं हुआ था प्रतिवादी संख्या 2 का 1.6317 हिस्सा अंकित किया जाता है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय वाद प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर

सत्यमेव जयते